



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक-31.08.2022

**प्रभावी पैरवी कर 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर
कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलायी
गयी।**

जनपद पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, दिनांक 11/05/1992 को थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 184/1992 धारा-307 IPC में नामजद अभियुक्त प्रधुम्न कुमार पुत्र देवीसहाय थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।